राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र.: एफ 2(53)ग्रावि–3 / नरेगा परिषद– के.अ. / 09–10 जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः– ग्राम पंचायत को जारी राशि का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने वाले सरपंचों को आगामी पंचायत चुनाव हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे ध्यान में लाया गया है कि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के कियान्वयन हेतु उनको जारी राशि का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तथा शीघ्र ही ग्राम पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं।

अतः उन सरपंचों के लिए आगामी पंचायत चुनावों में चुनाव लड़ने हेतु अदेयता प्रमाण–पत्र / अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावे, जिन्होंने विभिन्न विकास योजनान्तर्गत विशेष रूप से नरेगा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके समायोजन नहीं करवाया है तथा उनके पास उपलब्ध अनुपयुक्त राशि को संबंधित पंचायत समिति के नरेगा खातों में वापिस जमा नहीं करवाया गया है।

इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी जावे।

भवदीय,

(सी. एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतराज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, नरेगा।
7. परियोजना निदेशक, ईजीएस / मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस